

125 पत्रावली पेश। ककुलाप इफरिफन।

प्रार्थना पर ककुलाप की कल्प सुनी गई।

प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन

एवं अपूरणीय सारि तीनों विन्दु पार्थी से

पक्ष में परीशीलन नहीं होने से कारण

प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है पत्रावली

कैलस सुधार होकर दा विल दफ्तर हो रिप